उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 20 आश्विन, शक संवत्, 1928
(दिनांक : 12 अक्टूबर, 2006)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "**क**")।

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "**ख**")।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

4. सभापति, आश्वासन समिति, उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2005-06) का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

5. सभापति, आश्वासन समिति, उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2005-06) का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

9. उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा० अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"**ग**")

10. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

11. वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुपूरक अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 22600 हजार (दो करोड़ छब्बीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत **रू0 66182 हजार (छः करोड़ इकसठ लाख बयासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 45080 हजार (चार करोड़ पचास लाख अस्सी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 658314 हजार (पैंसठ करोड़ तिरासी लाख चौदह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत **रू0 1225723 हजार (एक सौ बाईस करोड़ सत्तावन लाख तेईस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत **रू0 500 हजार (पाँच लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 184980 हजार (अठ्ठारह करोड़ उनचास लाख अस्सी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 1471246 हजार (एक सौ सैंतालीस करोड़ बारह लाख छियालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 682356 हजार (अड़सठ करोड़ तेईस लाख छप्पन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 945370 हजार (चौरानबे करोड़ तिरपन लाख सत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 20000 हजार (दो करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 719090 हजार (इकहत्तर करोड़ नब्बे लाख नब्बे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 76153 हजार (सात करोड़ इकसठ लाख तिरपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि, कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 515712 हजार (इक्यावन करोड़ सत्तावन लाख बारह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 116078 हजार (ग्यारह करोड़ साठ लाख अठ्हत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 493676 हजार (उनचास करोड़ छत्तीस लाख छिहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 283682 हजार (अठ्ठाईस करोड़ छत्तीस लाख बयासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) ऊर्जा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत **रू0 49600 हजार (चार करोड़ छियानबे लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

..4..

(19) लोक निर्माण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत **रू0 666095 हजार (छियासठ करोड़ साठ लाख पिचानबे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 17710 हजार (एक करोड़ सतहत्तर लाख दस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 631710 हजार (तिरसठ करोड़ सत्रह लाख दस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 3130 हजार (इकतीस लाख तीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 157200 हजार (पन्द्रह करोड़ बहत्तर लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) वन एवं पर्यावरण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रू0 394600 हजार (उनतालीस करोड़ छियालीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) दुग्ध विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन संबंधी कार्य के अन्तर्गत **रू0 139612 हजार (तेरह करोड़ छियानबे लाख बारह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 26215 हजार (दो करोड़ बासठ लाख पन्द्रह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(27) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 593365 हजार (उनसठ करोड़ तैंतीस लाख पैंसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

(28) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 181425 हजार (अठारह करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकार की जाय।

12. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2006-07 का अनुपूरक) विधेयक 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

13. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2006-07 का अनुपूरक) विधेयक 2006 को पुरःस्थापित करेंगे।

14. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2006-07 का अनुपूरक) विधेयक 2006 पर विचार किया जाय।

15. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2006-07 का अनुपूरक) विधेयक 2006 पारित किया जाय।

16. संसदीय कार्य मंत्री निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"मैं प्रस्ताव करती हूँ कि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 3 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति से प्राप्त राज्य का नाम (उत्तरांचल) के स्थान पर (उत्तराखण्ड) किए जाने संबंधी उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक 2006 पर उत्तरांचल विधान सभा अपनी सहमति व्यक्त करती है।"

17. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय। (समय 15 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री हरबंस कपूर,
4. श्री अजय भट्ट,
5. श्री अरविन्द पाण्डेय,
6. श्री अनिल नौटियाल,
7. श्री बिशन सिंह चुफाल,
8. श्री गोविन्द लाल शाह,
9. श्री महेन्द्र भट्ट,
10. श्रीमती आशा नौटियाल,
11. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
12. श्री हरभजन सिंह चीमा,
13. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
14. श्री मालचन्द।

संशोधन का रूप

"उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

18. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

19. पंचायती राज मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री हरबंस कपूर, 4. श्री अजय भट्ट, 5. श्री अरविन्द पाण्डेय, 6. श्री अनिल नौटियाल, 7. श्री गोविन्द लाल शाह, 8. श्री महेन्द्र भट्ट, 9. श्रीमती आशा नौटियाल, 10. श्री मालचन्द 11. श्री विशन सिंह चुफाल, 12. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 13. श्री हरभजन सिंह चीमा, 14. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत।	"उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

20. पंचायती राज मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

21. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जानाः-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री हरबंस कपूर, 4. श्रीमती आशा नौटियाल, 5. श्री गोविन्द लाल शाह, 6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 7. श्री महेन्द्र भट्ट।	"यह सदन उत्तरांचल गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है।"

22. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय। (समय 30 मिनट)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री हरबंस कपूर, 4. श्री अजय भट्ट, 5. श्री अरविन्द पाण्डेय, 6. श्री अनिल नौटियाल, 7. श्री गोविन्द लाल शाह, 8. श्री महेन्द्र भट्ट, 9. श्रीमती आशा नौटियाल, 10. श्री विशन सिंह चुफाल, 11. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 12. श्री हरभजन सिंह चीमा, 13. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत। 14. श्री मालचन्द।	"उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

23. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

24. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 12 अक्टूबर, 2006

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

गुरूवार, 20 आश्विन, शक संवत्, 1928
(दिनांक : 12 अक्टूबर, 2006)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रकाश पन्त 25–09–2006	**1. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार राज्य में युवाओं के लिये खेल नीति बनाने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं? क्या सरकार विवरण सदन के पटल पर रखेगी?	खेल

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 27–07–2006	*1. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी–बूटियों के भण्डार हैं? सरकार द्वारा अवैज्ञानिक व्यापारिक दोहन को अधिकांश जड़ी–बूटियां जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं, उनके सरंक्षण के लिये क्या उपाय किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	**प्रथम मंगलवार के तारा0 07 में स्था0 एवं द्वितीय मंगलवार तक स्थगित**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 27–07–2006	*2. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सेब, आम और अखरोट की फसलों के निर्यात हेतु कृषि निर्यात इकाई द्वारा प्रयास किये गये? क्या राज्य हित में प्रभावी कार्ययोजना बनाकर निर्यात क्षेत्र के विस्तारीकरण किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री हरबंस कपूर 28–07–2006	*3. क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों के लिये वर्ष 2002 में किये सर्वेक्षण की सूची का प्रकाशन हो गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त सूची त्रुटिपूर्ण पाई गयी है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी सूची में व्याप्त त्रुटियों के सुधार हेतु कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**द्वितीय सोमवार के तारा0 06 में स्था0**

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती विजय बड़थ्वाल
19–06–2006

1. क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में नए बी0पी0एल0 कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया सम्पन्न हो गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नई प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व कुल कितने बी0पी0एल0 कार्ड धारक थे तथा नये सर्वेक्षण में अब कितने कार्ड धारक हुए हैं?

खाद्य

श्रीमती विजय बड़थ्वाल
07–07–2006

2. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने उद्यान निरीक्षक कार्यरत हैं और इनके कार्यालय कहाँ–कहाँ पर हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003 से 2006 तक उक्त क्षेत्र में कितने नये उद्यान स्थापित किये गये हैं?

उद्यान

श्री प्रीतम सिंह पंवार
14–07–2006

3. क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के स्यानाचट्टी नामक स्थान पर जिला पंचायत उत्तरकाशी द्वारा सड़क पर बैरियर लगाया गया है? क्या यह सत्य है कि आने–जाने वाले वाहनों से अवैध कर वसूली की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बिना पार्किंग इत्यादि के बड़कोट से सीधे हनुमानचट्टी अथवा जानकीचट्टी, जाने वाले वाहनों से पथकर लिये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार इस बैरियर को शीघ्र हटायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज

श्री प्रीतम सिंह पंवार
14–07–2006

4. क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपदवार बी.पी.एल. परिवारों की संख्या वर्तमान में क्या है तथा वर्तमान में चलित प्रक्रिया में जनपदवार कुल कितने नये परिवार सम्मिलित किये गये? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बी.पी.एल. परिवार चिन्हीकरण/निर्धारण के क्या मानक थे? क्या यह सत्य है कि पूर्व में बी.पी.एल. परिवारों में गरीबी रेखा के ऊपर के परिवार भी सम्मिलित हैं? क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य

श्रीमती विजय बड़थ्वाल
17–07–2006

5. क्या लघु उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल मूल की महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योग खोलने की कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या और किस स्थान पर? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद पौडी गढ़वाल के स्थान सिलोगी, पौखाल, किमसार में महिलाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर विचार करेगी?

लघु उद्योग

श्री प्रीतम सिंह पंवार 19–07–2006	**6.** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में गेहूँ खाद्यान्न स्टॉक की क्या स्थिति है? क्या यह सत्य है कि सरकारी सस्ते–गल्ले की दुकानों को विभागीय अन्न भण्डारों से गेहूँ की आपूर्ति न किये जाने से नागरिकों को ऊँचें दामों पर गेहूँ खरीदना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कुल कितना गेहूँ जिलों को कब–कब आंवटित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	खाद्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20–07–2006	**7.** क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री अवगत हैं कि खादी उत्पादन एवं विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कानपुर (उत्तर प्रदेश) जाना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रमाण पत्र राज्य में बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कहाँ और कब से? यदि नहीं, तो क्यों?	खादी एवं ग्रामोद्योग
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20–07–2006	**8.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जड़ी–बूटी उत्पादन केन्द्र/उद्यान कहाँ–कहाँ पर स्थापित किये गये हैं तथा उक्त उद्यानों में कितने किस्म की जड़ी–बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20–07–2006	**9.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में जिला उद्यान अधिकारी का पद कब से रिक्त है तथा कब तक पूर्णकालिक उद्यान अधिकारी की तैनाती की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20–07–2006	**10.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्डवार अब तक कुल कितने गांवों में श्री राजीव गांधी पंचायत भवन निर्मित कर लिये गये हैं? क्या सरकार अन्य ग्रामों में भी उक्त योजना के पंचायत भवन निर्मित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पंचायती राज
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20–07–2006	**11.** क्या लघु उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के जिला उद्योग केन्द्र द्वारा पूर्व में संचालित जल चर्खा व कताई–बुनाई केन्द्र रतूड़ीसेरा व नाकुरी को पुनर्जीवित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लघु उद्योग
श्रीमती आशा नौटियाल 20–07–2006	**12.** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि यात्राकाल में जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम में हर वर्ष राशन मिट्टी तेल एवं कोयले की भारी कमी होती है? क्या यह सत्य है कि इस कमी से स्थानीय व्यापारियों तथा बाहर से आने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार श्री केदारनाथ धाम में राशन, मिट्टी तेल व कोयले का अतिरिक्त कोटा यात्राकाल में आवंटित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	खाद्य

श्रीमती आशा नौटियाल 20–07–2006	**13.** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत कुल कितने राशन कार्ड धारक हैं तथा उक्त राशन कार्ड किस सन् में बनाये गये? इन कार्ड धारकों को प्रति माह कितनी राशन नियमित रूप से दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**खाद्य**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21–07–2006	**14.** क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि राज्य के दस पर्वतीय जिलों के फल उत्पादकों को हर वर्ष करोड़ों रूपये की हानि विपणन की समुचित व्यवस्था के अभाव, भण्डारण, यातायात, आधुनिक पैकेजिंग, कूल चेन सिस्टम एवं उत्पादक क्षेत्रों में मण्डी व्यवस्था न होने के कारण उठानी पड़ती है? क्या सरकार इन जनपदों के फल उत्पादकों की उपजों के लिये वैज्ञानिक विपणन ढांचा बनायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**उद्यान**
श्री गगन सिंह रजवार 24–07–2006	**15.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के रिंगू, बौना, तोमिक में जड़ी–बूटी उद्यान केन्द्र खोले जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**उद्यान**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 27–07–2006	**16.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में आदर्श पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	**पंचायती राज**
श्री हरबंस कपूर 01–08–2006	**17.** क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2006–07 के जून, 06 तक कुल कितने वाद दायर हुए तथा इनमें से कितने वादों का निस्तारण हो चुका है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उपभोक्ता फोरम में विधिमान्य कार्यवाही हेतु कितने सदस्यों का कोरम निर्धारित है? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि वर्तमान में यह कोरम पूरा नहीं है? यदि हाँ, तो क्या कोरम को पूरा करने की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**खाद्य**
श्री हरबंस कपूर 01–08–2006	**18.** क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि राज्य में मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते गल्ले की दुकानों में वितरण की जाने वाली गेहूँ के कोटे में वर्ष 2003–04 के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में भारी कटौती की गयी है? यदि हाँ, तो उस कटौती की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	**खाद्य**

श्रीमती आशा नौटियाल 03--08--2006	**19.** क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि एवं ऊखीमठ के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों (बसुकेदार, कालीमठ, गौरीकुण्ड, ऊखीमठ, क्यूँजा, चन्द्रनगर, काण्डई, दशज्यूला, धिमतोली) में राशन एवं मिट्टी तेल की आपूर्ति प्रतिमाह नियमित समय पर की जा रही है? यदि हाँ, तो प्रतिमाह आपूर्ति होने वाले राशन एवं मिट्टी तेल की तिथि प्रत्येक क्षेत्र में कौन–कौन सी है? यदि नहीं, तो क्यों?	**खाद्य**
श्रीमती आशा नौटियाल 03–08–2006	**20.** क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद रूद्रप्रयाग में विकास खण्ड ऊखीमठ सब्जी उत्पादन में प्रसिद्व रहा है? क्या सरकार सब्जी एवं फलों के संरक्षण हेतु शीत गृह के निर्माण की कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**उद्यान**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10–08–2006	**21.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों, प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों को मानदेय तथा भत्ता दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?	**पंचायती राज**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 17–08–2006	**22.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में राजकीय उद्यान लीजरेन्ट पर विभिन्न उद्यानपतियों को आवंटित किये गये थे? क्या यह सत्य है कि आवंटित उद्यानों में से कुछ उद्यान आवंटितों द्वारा वापस किये गये हैं? क्या वापस किये गये उद्यान सरकार द्वारा विकसित व संरक्षित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	**उद्यान**
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 13–06–2006	**23.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पौड़ी जनपद में कुल कितने हैक्टेयर भूमि पर सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है? वर्ष 2005–06 में कितने काश्तकारों को सरकार द्वारा बीज/खाद मुहैया करायी गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकारी सहायता से सब्जी उत्पादन में वृद्धि हुई? यदि हाँ, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?	**उद्यान**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 22–08–2006	**24.** क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील अन्तर्गत ढनाण–तड़ागताल क्षेत्र में क्रीड़ा स्थल बनाने हेतु संबंधित अधिकारी (जे0ई0) द्वारा निरीक्षण कर प्राक्कलन नियोजन विभाग को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो निरीक्षण में किन–किन बिन्दुओं पर सम्बधित अधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा कार्य पूर्ण कब तक कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**खेलकूद**

श्री फूल सिंह बिष्ट 28–08–2006	**25.** प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम गुरूवार के अतारांकित प्रश्न सं0 30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हर्बल पार्क मुनीकीरेती में विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के मुखेम में जड़ी–बूटी एवं शोध संस्थान की एक शाखा खोल दी गई है? यदि नही, तो जड़ी–बूटी एवं शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की शाखा कब तक स्थापित कर दी जायेगी?	**उद्यान**
श्री हरबंस कपूर 31–08–2006	**26.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय उद्यान गंगा लहरी की भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से संबंधित कोई शिकायत जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून से प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उद्यान की भूमि को भूमाफिओं से मुक्त करवाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**उद्यान**
श्री हरबंस कपूर 31–08–2006	**27.** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर माह अगस्त, 2006 को जो चावल उपभोक्ताओं को दिया गया वह निम्न गुणवत्ता का पाया गया? यदि हाँ, तो उक्त घटिया चावल उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिये कौन दोषी पाया गया? क्या मंत्री जी दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**खाद्य**
श्रीमती आशा नौटियाल 25–07–2006	**28.** क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद रूद्रप्रयाग में विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत फाटा, गौरीकुण्ड, त्रियुगीनारायण, रामपुर सहित क्षेत्र के कई गांवों में आलू की फसल कीट लगने के कारण नष्ट हो गयी? यदि हाँ, तो क्या सरकार आलू उत्पादक कृषकों को क्षति का मुवावजा देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**उद्यान**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21–09–2006	**29.** क्या खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी में लम्बे समय से एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों की कमी में कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद में गैस सिलेण्डरों की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**खाद्य**

नत्थी (ग)

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 11अक्टूबर, 2006 की बैठक में दिनाँक 12 अक्टूबर, 2006 से दिनाँक 13 अक्टूबर, 2006 के उपवेशन के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है-

अक्टूबर,2006

12 गुरूवार

(1) अनुदानवार मांगो पर चर्चा एवं मतदान।

(2) उत्तरांचल विनियोग (2006-2007) का अनुपूरक विधेयक, 2006 सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

(3) "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 3 के अधीन उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 पर विचार व्यक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा।

(4) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(5) उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(6) उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक पर विचार एव पारण। (30 मिनट)

13 शुक्रवार

असरकारी कार्य

1- (क) श्री फूल सिंह बिष्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"निर्माणाधीन टिहरी बांध की टनल संख्या टी-2 को बन्द कर दिए जाने के निर्णय से टिहरी बांध से प्रभावितों जिनका अभी तक पूर्ण रूप से पुनर्वासन नहीं किया जा सका है में व्याप्त भय क्षोभ एवं असन्तोष के सम्बन्ध में।"

(ख) श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-105 के अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाए।"

(ग) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-105 के अन्तर्गत दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों को अधिक से अधिक आकर्षित करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए।"

(घ) श्री प्रकाश पन्त, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-105के अन्तर्गत दी गई निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरणः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए।"

(ड.) श्री मातबर सिंह कण्डारी सदस्य विधान सभा तथा नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम 105 के अन्तर्गत दी गयी निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरणः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अति दुर्गम पिछडे एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टर/फार्मेसिस्ट तत्काल भेजे जाएं।"

2- निम्नलिखित संकल्पों के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार

"यह सदन राज्य सरकार से संस्तुति करता है कि जनपद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के सराहन/ग्वालदम में एस0एस0बी0 गुरिल्ला प्रशिक्षण प्राप्त आन्दोलनरत स्वयंसेवकों को पूर्वोत्तर राज्यों की भांति नौकरियों एवं पेन्शन आदि में दी जा रही सुविधा दिए जाने हेतु केन्द्र सरकार से प्रबल संस्तुति करे।"

2. श्री मातबर सिंह कण्डारी

"इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश में बन रही बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के ही नाम दर्ज किए जाय।"

3.	श्री हरबंस कपूर	"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा के गिरते हुए स्तर को देखते हुए प्राइमरी शिक्षकों से पठन-पाठन के अतिरिक्त कोई और कार्य न लिया जाय।"
4.	श्री प्रकाश पन्त,	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला व मुनस्यारी, जनपद उत्तरकाशी में रवाई-जौनपुर तथा जनपद चमोली में जोशीमठ क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले समस्त नागरिकों को अनुसूचित जनजातियों हेतु अनुमन्य समस्त सुविधाऐं प्रदान की जायें।"